22-2-14

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

रिव्यू 1364-I/14 पुर्नविलोकन क्र0–....................../2014

Rs 20/-

...एड ... के आज दिनांक 22-2-14 ... त किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

अमरेन्द्रनाथ चतुर्वेदी उम्र 57 वर्ष तनय हीरामणि चतुर्वेदी, निवासी ग्राम खडौरा, तहसील देवसर, जिला सिगरौली (म0प्र0)

———आवेदक

बनाम

म0प्र0 राज्य

———अनावेदक

माननीय प्रशासनिक सदस्य श्री मनोज गोयल द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक–3685/I/12 द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/10/12 के विरू0 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुर्नविलोकन आवेदन

मान्यवर,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1364–एक/2014 | **जिला सिंगरौली**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–8–2015	आवेदक अधिवक्ता के रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3685–एक/12 में पारित आदेश दिनांक 10–10–12 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	